[2019] 4 उम. नि. प. 392

सचिव, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य

बनाम

मैसर्स विनोद एंड कंपनी

[2019 की सिविल अपील सं. 5399]

11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) – धारा 2(1)(ण) और 11 – सेवा – उपभोक्ता पीठ की अधिकारिता – सरकार की आयात-निर्यात नीति के अधीन फायदे प्रदान किया जाना – चूंकि आयात-निर्यात नीति राज्य की राजवित्तीय नीति और विदेशी व्यापार पर उसके सम्पूर्ण नियंत्रण की अनुषंगी है इसलिए सरकार आयात-निर्यात नीति के निबंधनों के अधीन फायदे प्रदान करते समय कोई 'सेवा' प्रदान नहीं करती है जिससे कि उसे सेवा प्रदाता मानकर अधिनियम के अधीन गठित उपभोक्ता पीठ की अधिकारिता के अध्यधीन लाया जा सके ।

प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी ने वर्ष 1988 से 1993 तक निर्यात किए थे । प्रत्यर्थी ने 6,16,116/- रुपए के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संबंध में एक आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन किया, जिसके लिए वह स्कीम के अधीन निर्यातों की रकम पर 20 प्रतिशत प्रीमियम का हकदार था । चूंकि आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति जारी करने की स्कीम बन्द कर दी गई थी इसलिए 1,23,223/- रुपए का प्रीमियम संदत्त नहीं किया गया था । प्रत्यर्थी ने यह सूचना प्राप्त की कि आयात-निर्यात के अपर मुख्य नियंत्रक ने तारीख 3 सितम्बर, 1991 का एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा प्रीमियम के अनुदान को फरवरी, 1988 से अगस्त, 1992 तक प्रास्थगित कर दिया था जिसे बाद में 31 मार्च, 1993 तक बढ़ा दिया गया था । प्रत्यर्थी ने वाणिज्य मंत्रालय की अपीलीय समिति के समक्ष एक अपील फाइल की । प्रत्यर्थी ने प्रीमियम के उन्मोचन के लिए असफल प्रयास किए और उसे यह

सूचित किया गया था कि यह स्कीम बन्द कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसका दावा ग्रहण नहीं किया जा सका । इसके फलस्वरूप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष न्यायालय, दिल्ली के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित की गई थी जिसने यह निदेश देते हुए दावे को मंजूर कर लिया कि प्रत्यर्थी को मानसिक यंत्रणा और विधिक व्ययों के मद्धे प्रतिकर सहित 1,23,223/- रुपए की रकम का संदाय किया जाए । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील तारीख 9 अक्तूबर, 2006 को नामंजूर कर दी गई थी । इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा तारीख 4 अप्रैल, 2012 को पुनरीक्षण में पुष्ट कर दिया गया । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष और पुनरीक्षण में जिस मूल विवाद्यक पर बहस की गई थी वह यह था कि उपभोक्ता न्यायालय को इस आधार पर कोई उपभोक्ता परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी कि जब संघ सरकार एक्ज़िम पालिसी के अधीन प्रोत्साहन प्रदान करती है तब उसके द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है । अतः इस अपील में इस बारे में एक रूचिकर प्रश्न उद्भूत होता है कि वह व्यक्ति, जिसने आयात और निर्यात नीति (संक्षेप में एक्ज़िम पालिसी) – इस मामले में अप्रैल, 1988 से मार्च, 1991 के लिए नीति – के निबंधनों के अनुसार जारी की गई किसी आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति के अधीन कोई दावा किया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(घ) के अर्थान्तर्गत उपभोक्ता है अथवा नहीं । इस प्रश्न से सहबद्ध मुद्दा यह है कि क्या सरकार एक्ज़िम पालिसी के निबंधनों के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करते समय कोई 'सेवा' देती है, जिससे कि उसे अधिनियम के अधीन स्थापित उपभोक्ता न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन लाया जा सके । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2(ण) में "सेवा" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उससे किसी किस्म की कोई सेवा अभिप्रेत है । इस मामले में आवश्यक रूप से मुद्दा यह है कि सरकार एक्ज़िम पालिसी तैयार करते समय और विनियमनकारी व्यवस्था प्रदान करते समय किसी किस्म की सेवा करती

है अथवा नहीं । (पैरा 19)

एक्ज़िम पालिसी के उद्देश्य आवश्यक रूप से आयातित पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री और संघटक आसानी से सुलभ कराकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आयातों को प्रतिस्थापित करना तथा आत्मनिर्भरता का संवर्धन करना और प्रोत्साहनों की क्वालिटी में सुधार करके निर्यात को नई दिशा प्रदान करना है । एक्ज़िम पालिसी राज्य की राजवित्तीय नीति और विदेशी व्यापार पर उसके संपूर्ण नियंत्रण की अनुषंगी है । राज्य, अपनी नीति के प्रसंग के रूप में प्रोत्साहनों की व्यवस्था कर सकता है । उन प्रोत्साहनों का उपबंध करना राज्य को ऐसे व्यक्ति का सेवा प्रदाता नहीं बना देता है जो किसी सेवा के संभावित प्रयोगकर्ता के रूप में प्रोत्साहनों का उपभोग करता है । राज्य, राजस्व के उपयोग और संग्रहण करने संबंधी अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए विधि के अधीन भिन्न-भिन्न विनियामक प्रणालियां लागू करता है । उस प्रणाली में अनुपालन के लिए रीतियों, भंग के लिए शास्तियों तथा नीति के प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध हो सकता है । इन प्रोत्साहनों का अनुदत्त किया जाना राज्य को एक सेवा प्रदाता नहीं बना देता है । उपरोक्त कारणों से, एक्ज़िम पालिसी द्वारा शासित आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति से उद्भूत और उस पर आधारित किए दावे के संबंध में अधिनियम के अधीन कोई परिवाद ग्रहण करने के संबंध में जिला न्यायालय की अधिकारिता का अभाव था (पैरा 22 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 8 एस. सी. सी. 483 : **विक्रम सेल्स कारपोरेशन और एक अन्य** बनाम **वाणिज्यिक कर आयुक्त** ;	9,23
[1996]	(1996) 4 एस. सी. सी. 433 : **बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड** बनाम **सुरेश प्रसाद सिन्हा** ।	9,24

सिविल अपीली अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 5399.

2007 की पुनरीक्षण याचिका सं. 375 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के तारीख 4 अप्रैल, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री डी. एल. चिदानंद, नचिकेता जोशी, सैयूज मोहनदास एम., सुश्री अनिल कटियार और बी. कृष्ण प्रसाद

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री शिवेन्द्र द्विवेदी और राजेश महाले

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चन्द्रचूड़ – विलंब माफ किया जाता है ।

2. इजाजत दी जाती है ।

3. इस अपील में इस बारे में एक रूचिकर प्रश्न उद्भूत होता है कि वह व्यक्ति, जिसने आयात और निर्यात नीति(संक्षेप में एक्ज़िम पालिसी) – इस मामले में अप्रैल, 1988 से मार्च, 1991 के लिए नीति – के निबंधनों के अनुसार जारी की गई किसी आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति के अधीन कोई दावा किया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2(1)(घ) के अर्थान्तर्गत उपभोक्ता है अथवा नहीं । इस प्रश्न से सहबद्ध मुद्दा यह है कि क्या सरकार एक्ज़िम पालिसी के निबंधनों के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करते समय कोई 'सेवा' देती है, जिससे कि उसे अधिनियम के अधीन स्थापित उपभोक्ता न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन लाया जा सके ।

4. इस मामले के तथ्य, जहां तक वे तात्विक हैं, ये हैं कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 1988 से 1993 तक निर्यात किए । प्रत्यर्थी ने 6,16,116/- रुपए के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संबंध में एक आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन किया, जिसके लिए वह स्कीम के अधीन निर्यातों की रकम पर 20 प्रतिशत प्रीमियम का हकदार था । चूंकि आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति जारी करने की स्कीम बन्द कर दी गई थी इसलिए 1,23,223/- रुपए का प्रीमियम संदत्त नहीं किया गया था । प्रत्यर्थी ने यह सूचना प्राप्त की कि आयात-निर्यात के अपर मुख्य नियंत्रक ने तारीख

3 सितम्बर, 1991 का एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा प्रीमियम के अनुदान को फरवरी, 1988 से अगस्त, 1992 तक प्रास्थगित कर दिया था जिसे बाद में 31 मार्च, 1993 तक बढ़ा दिया गया था । प्रत्यर्थी ने वाणिज्य मंत्रालय की अपीलीय समिति के समक्ष एक अपील फाइल की । प्रत्यर्थी ने प्रीमियम के उन्मोचन के लिए असफल प्रयास किए और उसे यह सूचित किया गया था कि यह स्कीम बन्द कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसका दावा ग्रहण नहीं किया जा सका ।

5. इसके फलस्वरूप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष न्यायालय, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "जिला न्यायालय" कहा गया है) के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित की गई थी । जिला न्यायालय ने यह निदेश देते हुए दावे को मंजूर कर लिया कि प्रत्यर्थी को मानसिक यंत्रणा और विधिक व्ययों के मद्धे प्रतिकर सहित 1,23,223/- रुपए की रकम का संदाय किया जाए ।

6. अपीलार्थियों को जिला न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय समझा गया था । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष फाइल की गई उनकी अपील तारीख 9 अक्तूबर, 2006 को नामंजूर कर दी गई थी । इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा तारीख 4 अप्रैल, 2012 को पुनरीक्षण में पुष्ट कर दिया गया ।

7. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष और पुनरीक्षण में जिस मूल विवाद्यक पर बहस की गई थी वह यह था कि उपभोक्ता न्यायालय को इस आधार पर कोई उपभोक्ता परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी कि जब संघ सरकार एक्ज़िम पालिसी के अधीन प्रोत्साहन प्रदान करती है तब उसके द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है ।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल श्री डी. एल. चिदानंद ने न्यायालय के विनिश्चय को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी :-

(i) एक्ज़िम पालिसी संघ सरकार की राजवित्तीय नीति और विदेशी व्यापार पर उसके विनियमनकारी नियंत्रण के अनुसरण में

और उसके आनुषंगिक रूप में तैयार की जाती है ;

(ii) एक्ज़िम पालिसी का प्रयोजन और उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना और विनियमनकारी अध्युपाय अधिकथित करके आयातों को विनियमित करना है, जिसके अनुसरण में निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन की स्कीम भी उपलब्ध कराई जाती है ;

(iii) किसी निर्यातकर्ता को जो प्रसुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे अधिनियम के अर्थान्तर्गत सेवा गठित नहीं करती हैं ।

9. इस दलील के समर्थन में **विक्रम सेल्स कारपोरेशन और एक अन्य** बनाम **वाणिज्यिक कर आयुक्त**[1] और **बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड** बनाम **सुरेश प्रसाद सिन्हा**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया गया है ।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल श्री शिवेन्द्र द्विवेदी ने उपभोक्ता न्यायालय के उस विनिश्चय का समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा इस आधार पर निर्णय किया गया था कि प्रत्यर्थी, निर्यातकर्ता के रूप में उन आर.ई.पी. अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध प्रीमियम का हकदार था, जो उपबंधित फायदा गठित करता है, और इसलिए वह संघ सरकार द्वारा किसी निर्यातकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं का एक भाग है ।

11. परस्पर-विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से ऐसी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो अधिनियम की धारा 2 में अंतर्विष्ट हैं । "परिवादी" अभिव्यक्ति को धारा 2(ख)(i) में परिभाषित किया गया है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ एक 'उपभोक्ता' अभिप्रेत है ।

12. धारा 2(घ) में "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"(घ) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो -

---

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 433.

[2] (2009) 8 एस. सी. सी. 483.

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है ; और

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उसका उपभोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपयोग करता है, ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है ;

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक प्रयोग" के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे माल या सेवाओं का उपयोग नहीं है जिन्हें वह स्वःनियोजन द्वारा

अपनी जीविका उपार्जन के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से लाया है और जिनका उसने उपयोग किया है और उसने जो सेवाएं प्राप्त की हैं ;"

13. धारा 2(ङ) में "उपभोक्ता विवाद" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है :–

"(ङ) "उपभोक्ता विवाद" से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इनकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है ।"

14. धारा 2(च) में "त्रुटि" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है :–

"(च) "त्रुटि" से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अधित्यजन या विवक्षित संविदा के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल के संबंध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है ।"

15. धारा 2(छ) में "कमी" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है :–

"(छ) "कमी" से ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के संबंध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्ता अभिप्रेत है ।"

16. अंततः, "सेवा" अभिव्यक्ति के प्रतिनिर्देश करना आवश्यक होगा, जिसे धारा 2(ण) में परिभाषित किया गया है :–

"(ण) "सेवा" से किसी भी प्रकार की कोई सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत बैंककारी, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत

या अन्य ऊर्जा के प्रदाय, बोर्ड या निवास अथवा दोनों, गृह निर्माण, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाने के संबंध में सुविधाओं का प्रबंध भी है लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है ।"

17. धारा 2(घ)(ii) के अधीन उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रतिफल के लिए कोई सेवा भाड़े पर लेता है या उसका उपभोग करता है । इसके अंतर्गत उस व्यक्ति से भिन्न जो सेवा को भाड़े पर लेता है या उसका उपभोग करता है, किसी सेवा का हिताधिकारी भी है । सेवा को भाड़े पर लेना या उसका उपभोग करना या तो संदाय करने या वचन देने या भागतः संदाय करने और भागतः वचन देने या आस्थगित संदाय की किसी पद्धति के अधीन हो सकता है । अपवर्जन ऐसे व्यक्ति को लागू होता है जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सेवा का उपभोग करता है और उस दशा में ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है ।

18. धारा 2(छ) में, जो "कमी" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति या रीति में, जिसे किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के संबंध में संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना संविदागत रूप से कल्पित है, किसी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्ता का उल्लेख किया गया है ।

19. धारा 2(ण) में "सेवा" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उससे किसी किस्म की कोई सेवा अभिप्रेत है । इस मामले में आवश्यक रूप से मुद्दा यह है कि सरकार एक्ज़िम पालिसी तैयार करते समय और विनियमनकारी व्यवस्था प्रदान करते समय किसी किस्म की सेवा करती है अथवा नहीं ।

20. चूंकि प्रस्तुत मामले में सुसंगत एक्ज़िम पालिसी अप्रैल, 1988 से मार्च, 1991 तक की अवधि के लिए है इसलिए इस दस्तावेज के आमुख में यथा-अंतर्विष्ट पालिसी के प्रयोजन और उद्देश्य को उद्धृत करना शिक्षाप्रद होगा :-

"आयात-निर्यात नीति समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । नई नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं –

(i) उद्योग को आवश्यक आयातित पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री और संघटक आसानी से सुलभ कराकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रवृत्ति को बनाए रखना और उद्योग को अंतरराष्ट्रीय रूप से निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना ;

(ii) दक्ष आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता का संवर्धन करना ;

(iii) प्रोत्साहनों की क्वालिटी और उनके प्रशासन में सुधार करके निर्यात संवर्धन को नई शक्ति प्रदान करना ; और

(iv) नीति और प्रक्रियाओं को आसान और तर्कसंगत बनाना ।

इन उद्देशयों को, देशी और बाह्य संसाधनों की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाना ईप्सित है ।"

21. अध्याय 19 में शुल्क छूट स्कीम के लिए उपबंध किया गया है जिसके अधीन पैरा 239 में निम्नलिखित निबंधनों में विशेष आर.ई.पी. सुविधा के लिए उपबंध किया गया है :-

"विशेष आर.ई.पी. सुविधा

239.(1) इस स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति-धारक निर्यात बाध्यता को पूरा करने और डी.ई.ई.सी. का निर्वहन करने के पश्चात् आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति का पात्र होगा । आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति का मूल्य प्राप्त की गई मूल्य वृद्धि के 10 प्रतिशत के समान होगा (निर्यातों का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य घटा आयातों का लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य) । इस प्रकार संगणित आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति के मूल्य को इसके बाद, यथास्थिति, परिशिष्ट 17 के अनुसार या इस नीति के पैरा 166(2) (अवशिष्ट उत्पादों के लिए) के अनुसार निर्यातों के

कुल पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आर.ई.पी. हकदारी तक सीमित किया जाएगा । इस प्रकार जारी की गई आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति परिशिष्ट 17 या इस नीति के पैरा 166(2) में अनुज्ञप्ति जारी करते समय सुसंगत निर्यात उत्पाद के विरुद्ध यथा-अनुज्ञात मदों के आयात के लिए विधिमान्य होगा ।"

22. इस पालिसी के उद्देश्य आवश्यक रूप से आयातित पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री और संघटक आसानी से सुलभ कराकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आयातों को प्रतिस्थापित करना तथा आत्मनिर्भरता का संवर्धन करना और प्रोत्साहनों की क्वालिटी में सुधार करके निर्यात को नई दिशा प्रदान करना है । एक्ज़िम पालिसी राज्य की राजवित्तीय नीति और विदेशी व्यापार पर उसके संपूर्ण नियंत्रण की अनुषंगी है । राज्य, अपनी नीति के प्रसंग के रूप में प्रोत्साहनों की व्यवस्था कर सकता है । उन प्रोत्साहनों का उपबंध करना राज्य को ऐसे व्यक्ति का सेवा प्रदाता नहीं बना देता है जो किसी सेवा के संभावित प्रयोगकर्ता के रूप में प्रोत्साहनों का उपभोग करता है । राज्य, राजस्व के उपयोग और संग्रहण करने संबंधी अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए विधि के अधीन भिन्न-भिन्न विनियामक प्रणालियां लागू करता है । उस प्रणाली में अनुपालन के लिए रीतियों, भंग के लिए शास्तियों तथा नीति के प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध हो सकता है । इन प्रोत्साहनों का अनुदत्त किया जाना राज्य को एक सेवा प्रदाता नहीं बना देता है ।

23. **विकास सेल्स कारपोरेशन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ था कि किसी आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति या एक्ज़िम स्क्रिप का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण राज्य विक्रय कर विधान के अर्थान्तर्गत माल का विक्रय गठित करता है अथवा नहीं । न्यायालय ने, आयात नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

"4. .... अनुज्ञप्तियों के पीछे उद्देश्य रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ताओं को निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित आवश्यक निवेशों का आयात करने की सुविधा प्रदान करना था । आवश्यक

लक्ष्य निर्यात को प्रोत्साहित करना था और उस प्रयोजनार्थ निर्यात मूल्य के विहित प्रतिशत के समान आयात अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं, जिन्हें आर.ई.पी. अनुज्ञप्तियां कहा जाता है । इन अनुज्ञप्तियों को स्वेच्छया अंतरणीय बनाया गया था । यह उपबंध किया गया था कि ऐसी अनुज्ञप्तियों के अंतरण के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी से कोई पृष्ठांकन कराने या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी । यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसा साधारण विधि द्वारा शासित होगा । इसके लिए अंतरक से केवल एक पत्र अपेक्षित होगा जिससे अंतरण अभिलिखित और साक्ष्यित होगा । उस आधार पर, अंतरिती उस अनुज्ञप्ति का सम्यक् और विधिपूर्ण धारक बन गया था और वह उसके अधीन अनुज्ञात माल का या तो आयात कर सकता था या उसका आगे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर सकता था ।"

24. **बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड** (उपर्युक्त) वाले मामले में, जिसे दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित किया गया था, प्रश्न यह था कि क्या राज्य विधि द्वारा शासित परीक्षा बोर्ड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन जिला न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन आता है । इस न्यायालय ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"12. जब परीक्षा बोर्ड अपने कानूनी कृत्य का निर्वहन करते हुए किसी परीक्षा का संचालन करता है तब वह किसी अभ्यर्थी को अपनी "सेवाएं" नहीं देता है । न ही कोई ऐसा विद्यार्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में भाग लेता है, बोर्ड से किसी प्रतिफल के लिए कोई सेवा भाड़े पर लेता है या उसका उपभोग करता है । दूसरी ओर, ऐसा अभ्यर्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में भाग लेता है, ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई पाठ्यक्रम पूरा किया है और जो बोर्ड से इस संबंध में परीक्षा लेने का अनुरोध करता है कि क्या उसने इतना पर्याप्त ज्ञान आत्मसात कर लिया है कि उसे उक्त शिक्षा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के लिए उपयुक्त घोषित किया जा सकता है; और यदि ऐसा है तो अन्य परीक्षार्थियों

के मुकाबले उसकी स्थिति, रैंक या सक्षमता का अवधारण किया जाए । अतः, यह प्रक्रिया किसी विद्यार्थी द्वारा किसी सेवा का उपभोग करना नहीं है बल्कि बोर्ड द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए संचालित की जाने वाले सामान्य परीक्षा में उसका भाग लेना है कि क्या उसे इस संबंध में पात्र और उपयुक्त समझा जा सकता है कि उसने माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । विद्यार्थी द्वारा संदत्त की गई परीक्षा फीस किसी सेवा का उपभोग करने के लिए प्रतिफल नहीं है बल्कि वह परीक्षा में भाग लेने के विशेषाधिकार के लिए संदत्त प्रभार है ।"

इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बोर्ड कोई सेवा प्रदाता नहीं है और ऐसा कोई विद्यार्थी, जो परीक्षा देता है, उपभोक्ता नहीं है ।

25. हमारा यह मत है कि अनुरूपतः यही सिद्धांत उन्हीं कारणों से, जो हमने उपदर्शित किए हैं, प्रस्तुत मामले को लागू होना चाहिए ।

26. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण कि एक्ज़िम पालिसी द्वारा शासित आर.ई.पी. अनुज्ञप्ति से उद्भूत और उस पर आधारित किए दावे के संबंध में अधिनियम के अधीन कोई परिवाद ग्रहण करने के संबंध में जिला न्यायालय की अधिकारिता का अभाव था, यह अपील मंजूर करते हैं ।

27. तद्नुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का तारीख 4 अप्रैल, 2012 का निर्णय अपास्त किया जाता है । तथापि, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

28. लंबित आवेदन (आवेदनों) का, यदि कोई हैं, निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.